भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1946

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

धार्मिक स्थलों को खतरा

1946 श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को आतंकवादी हमले का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) और (ख) : पुणे विस्फोट मामले (दिनांक 01.08.2012) में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के आतंकवादियों ने बोधगया में मंदिरों को निशाना बनाने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया था।

(ग) : चूंकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 'कानून और व्यवस्था' राज्य का विषय है, इसलिए मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सुरक्षा एजेंसियों का है। तथापि, आतंकवाद का सामना करना, आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को देखते एक साझा उत्तरदायित्व है। भारत सरकार राज्य पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के माध्यम से उनकी पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। उग्रवाद और आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाना; चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हबों की स्थापना; किसी आपातकालीन स्थिति में एनएसजी कर्मियों की आवाजाही के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए डीजी, एनएसजी को अधिकार देना; अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना साझा करने और सही समय पर आसूचना के संग्रहण हेतु 24x7 आधार पर कार्य करने के लिए इसे सक्षम बनाने हेतु बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ बनाना और इसे

पुन:व्यवस्थित करना; सख्त अप्रवासन नियंत्रण; सीमाओं पर दिन-रात निगरानी और गश्त के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन; प्रेक्षण चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था; आधुनिक और उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना ढांचे का उन्नयन; और तटीय सुरक्षा शामिल है। आतंकवाद का सामना करने के लिए दण्डात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2008 और 2012 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है। आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के उपायों के भाग के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) बनाई गई है। अन्य बातों के साथ-साथ विधेय अपराध के रूप में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए वर्ष 2009 में धन शोधन निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने अनेक बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर इसके वित्तपोषण सहित सभी प्रकार के सीमा-पार के आतंकवाद के मुद्दे का उठाना जारी रखा है।

*****